एक प्रतिनिधिक और प्रभावी संयुक्त राष्ट्र की ओर

[illegible] “UN@80: Reforms essential for continued relevance” (20/09/2025, [illegible]) [illegible] 80[illegible] [illegible]

प्रिलिम्स के लिये: संयुक्त राष्ट्र, सुरक्षा परिषद, ग्लोबल साउथ, दारफुर, शांति स्थापना मिशन, 2024 G20 शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ

मेन्स के लिये: संयुक्त राष्ट्र के समक्ष प्रमुख समकालीन चुनौतियाँ, संयुक्त राष्ट्र सुधारों को आगे बढ़ाने में भारत की भूमिका

संयुक्त राष्ट्र **80 वर्ष** पूर्ण होने का उत्सव मनाते हुए, गहन चुनौतियों का सामना कर रहा है, भू-राजनीतिक संघर्षों से लेकर जलवायु और प्रौद्योगिकीगत व्यवधानों तक जो एक भिन्न युग के लिये बनाए गए ढाँचे की सीमाओं को उजागर करते हैं। संरचनात्मक अक्षमताएँ और पुराना सुरक्षा परिषद ढाँचा इसकी विश्वसनीयता को खतरे में डाल रहे हैं, जिससे सुधार, विशेषकर ग्लोबल साउथ की अधिक प्रतिनिधित्वशीलता, अनिवार्य हो जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, **भारत का बहुपक्षीय परिवर्तन के लिये समर्थन अत्यंत महत्त्वपूर्ण** है।

संयुक्त राष्ट्र के समक्ष प्रमुख समकालीन चुनौतियाँ क्या हैं?

- **सुरक्षा परिषद में अप्रभावी वीटो शक्ति: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** के **पाँच स्थायी सदस्यों (P5)** द्वारा धारण की गई वीटो शक्ति शायद इसकी सबसे बड़ी कमी है।
  - यह व्यवस्था किसी भी एक स्थायी सदस्य को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह अकेले ही किसी **प्रस्ताव को रोक** सके, भले ही सदस्य देशों का भारी बहुमत उसके पक्ष में हो।
  - इससे ऐसी प्रणाली बनती है, जहाँ एक शक्तिशाली राष्ट्र का स्वार्थ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक इच्छा को दरकिनार कर सकता है, जो अक्सर प्रमुख संकटों के दौरान कूटनीतिक गतिरोध का कारण बनता है।
  - उदाहरण के लिये, **रूस ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने वाले प्रस्तावों को रोकने हेतु अपनी वीटो शक्ति का बार-बार उपयोग** किया है, जबकि **संयुक्त राज्य अमेरिका** ने **कम से कम 34 बार वीटो शक्ति का प्रयोग** करके उन प्रस्तावों को अवरुद्ध किया है जो **इज़रायल** की आलोचना करते थे।
- **पुरानी संरचना और अप्रतिनिधिक सदस्यता:** संयुक्त राष्ट्र की संरचना, विशेषकर **सुरक्षा परिषद, 21वीं सदी की बजाय 1945 के भू-राजनीतिक शक्ति संतुलन को दर्शाती** है।
  - **P5– चीन, फ्राँस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका-** द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देश हैं, जिसके परिणामस्वरूप **शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण हो गया है।**
    - आज, उभरती शक्तियाँ जैसे **भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान** स्थायी सदस्यता से वंचित हैं, जिससे सुरक्षा परिषद एक **अप्रतिनिधिक निकाय** बन जाती है, जिसके परिणामस्वरूप एक अप्रतिनिधित्वात्मक निकाय बनता है जिसमें **सीमित ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व (limited Global South representation)** होता है और प्रमुख वैश्विक प्रतिस्पर्द्धियों को अलग कर देता है।
  - हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी सुरक्षा परिषद (UNSC)** को वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को बेहतर तरीके से दर्शाने के लिये सुधारने का आह्वान किया और **बहुपक्षीय प्रणाली में भारत एक महत्त्वपूर्ण आवाज़ के रूप में उभरकर सामने** आया।
- **आधुनिक संघर्षों और मानवीय संकटों का समाधान करने में अक्षमता:** संयुक्त राष्ट्र ने बड़े पैमाने पर संघर्षों और मानवीय आपदाओं को प्रभावी

ढंग से रोकने या उन पर प्रतिक्रिया देने में लगातार अक्षमता दिखाई है, जो अक्सर सुरक्षा परिषद के आंतरिक विभाजनों के कारण होती है।
    - इसके **शांति स्थापना मिशन** अक्सर अपर्याप्त संसाधनों के साथ संचालित होते हैं और उन्हें ऐसे अप्रभावी निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाते, जैसा कि **1990 के दशक में बोस्निया और रवांडा** में देखा गया।
    - हाल के वर्षों में, **सीरिया, सूडान और म्याँमार** जैसे स्थानों में **संयुक्त राष्ट्र की निष्क्रियता** इस प्रणालीगत विफलता को उजागर करती है और केवल **दारफुर** में ही वर्ष 2003 के बाद अनुमानित **3,00,000 नागरिकों** की मृत्यु हो चुकी है, इसके बावजूद कि वहाँ संयुक्त राष्ट्र की मौजूदगी रही।
- **वित्तीय निर्भरता और असमान वित्तपोषण:** संयुक्त राष्ट्र कुछ प्रमुख दानदाता देशों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका पर अत्यधिक निर्भर है, जो इसके बजट का असमान रूप से बड़ा हिस्सा प्रदान करता है।
    - इससे इन देशों के लिये एक प्रभाव का साधन बन जाता है, जिससे वे संगठन की नीतियों और कार्यवाहियों पर दबाव डाल सकते हैं और प्रभाव डाल सकते हैं।
    - केवल **संयुक्त राज्य अमेरिका** **ही संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट का लगभग 22%** और इसके शांति स्थापना बजट का एक **महत्त्वपूर्ण हिस्सा** प्रदान करता है तथा इसने नीति में परिवर्तन करवाने के लिये अपने योगदान को घटाने या सीमित करने की धमकी भी दी है।
- **कूटनीतिक अक्षमता और जवाबदेही की कमी:** संयुक्त राष्ट्र को इसके विस्तृत और जटिल प्रशासन के लिये व्यापक रूप से आलोचना का सामना करना पड़ता है, जो अक्सर संकटों पर धीमी प्रतिक्रिया करता है और जिसमे पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी होती है।
    - कई रिपोर्टों में विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों में **भ्रष्टाचार, शांतिरक्षकों द्वारा यौन दुराचार** और धन के दुरुपयोग के मामलों को दर्ज किया गया है।
    - उदाहरण के लिये, **हाल ही में UNDP के वार्षिक ऑडिट में 434 नई जाँचे दर्ज** की गईं, जो अब तक की सबसे अधिक हैं, जिनमें से अधिकांश खरीद में धोखाधड़ी और यौन दुराचार से संबंधित थीं, जिसने जनता का विश्वास खोया और संगठन की विश्वसनीयता को क्षीण किया।
- **सार्वभौमिकता और राष्ट्रीय हितों का क्षरण:** कुछ राष्ट्र, विशेषकर जो अधिक राष्ट्रवादी या अलगाववादी दृष्टिकोण रखते हैं, संयुक्त राष्ट्र को अपनी राष्ट्रीय सार्वभौमिकता के लिये खतरा और वैश्विक एजेंडों का माध्यम मानते हैं।
    - वे तर्क देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय कानून देशों को ऐसी नीतियाँ अपनाने के लिये बाध्य कर सकते हैं जो उनके राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आप्रवास और मानवाधिकार से संबंधित नीतियाँ।
    - हाल ही में **अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिया गया भाषण ने इस संगठन को "अक्षम/Feckless"** कहा और देशों से **"मज़बूत सीमाओं और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों"** को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
- **प्रतिस्पर्द्धी वैश्विक और क्षेत्रीय संस्थाएँ:** अन्य शक्तिशाली वैश्विक और क्षेत्रीय संगठनों, जैसे **G20**, **ब्रिक्स** **और** **अफ्रीकी संघ** के उदय ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के वैकल्पिक मंच प्रदान किये हैं, जो अक्सर संयुक्त राष्ट्र को बायपास करते हैं।
    - इन समूहों को कई लोगों द्वारा अधिक चुस्त और समकालीन शक्ति संतुलन का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है।
    - उदाहरण के लिये, **आर्थिक संकटों के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करने में G20 ने अग्रणी भूमिका** निभाई है, जो ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राष्ट्र के दायरे में थी, जिससे **वैश्विक शासन में संयुक्त राष्ट्र** की भूमिका और भी हाशिये पर चली गई है।

संयुक्त राष्ट्र सुधारों को आगे बढ़ाने में भारत क्या भूमिका निभा सकता है?

- **लोकतांत्रिक सुरक्षा परिषद का समर्थन करना:** भारत, **G4 समूह (ब्राज़ील, जर्मनी और जापान)** के सदस्य के रूप में, अधिक समावेशी सुरक्षा परिषद के लिये नेतृत्व कर सकता है।
    - यह वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाने के लिये स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यता श्रेणियों का विस्तार करने वाला एक सुधार मॉडल प्रस्तुत कर सकता है।
    - इस दृष्टिकोण को **संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस** से व्यापक समर्थन प्राप्त है और यह पुरानी P5 प्रणाली की ऐतिहासिक अन्यायपूर्ण स्थिति को सुधारने में सहायता करेगा।
    - G4 देशों ने **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** के **15 सदस्यों से बढ़ाकर 25–26 सदस्यों** तक विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें छह नए स्थायी सीटें शामिल होंगी: **दो अफ्रीका के लिये, दो एशिया–प्रशांत के लिये, एक लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिये और एक पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों के लिये।**
- **ग्लोबल साउथ के हितों के लिये समर्थन:** विकासशील विश्व के नेता के रूप में भारत की स्थिति उसे ऐसे सुधारों को आगे बढ़ाने का विशिष्ट मंच प्रदान करती है जो ग्लोबल साउथ के हितों को प्राथमिकता दें।
    - संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर सतत् विकास, जलवायु न्याय और समान आर्थिक वृद्धि जैसे मुद्दों को लगातार उठाकर, भारत यह दिखा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र को P5 की प्राथमिकताओं द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिये।
    - उदाहरण के लिये, **2024 के G20 शिखर सम्मेलन** में, भारत ने **अफ्रीकी संघ** के लिये **स्थायी सदस्यता सुनिश्चित** की, जो वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बढ़ाने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **बहुपक्षवाद और संवाद को प्रोत्साहन प्रदान करना:** एक ऐसे युग में जहाँ महान शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्द्धा और कूटनीतिक गतिरोध बढ़ रहा है, **भारत एक तर्कसंगत आवाज़ के रूप में कार्य कर सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के लिये संवाद और कूटनीतिक समाधानों** को प्रोत्साहन प्रदान करता है।
    - **रूस-यूक्रेन युद्ध** जैसे मुद्दों पर भारत का सैद्धांतिक रुख, जहाँ इसने सैन्य समाधान के बजाय वार्ता के माध्यम से शत्रुता समाप्त करने का समर्थन किया, विश्व नेताओं द्वारा ध्यान में लाया गया।
    - **वर्ष 2022 के SCO शिखर सम्मेलन** में भारतीय प्रधानमंत्री के कथन, **"यह युद्ध का युग नहीं है (This is not an era of war),"** को संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों द्वारा कूटनीति की ओर वापसी के आह्वान के रूप में व्यापक रूप से संदर्भित किया गया है।
- **एक प्रमुख शांति स्थापक के रूप में योगदान:** भारत का संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में योगदान व्यापक और प्रतिष्ठित रहा है, **1950 के बाद से इसने 50 से अधिक मिशनों में 2,90,000 से अधिक सैनिक** तैनात किये हैं।
    - यह विशाल बलिदान और मैदान पर प्रतिबद्धता भारत की संयुक्त राष्ट्र निर्णय-निर्माण में अधिक अधिकार की मांग को महत्त्वपूर्ण नैतिक

और राजनीतिक वज़न प्रदान करती है। **2024 के अनुसार,** भारत सबसे बड़े सैनिक योगदान देने वाले देशों में शामिल है, सक्रिय मिशनों में 5,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है, जो अधिकांश P5 सदस्यों के संयुक्त योगदान से कहीं अधिक है।

- **आतंकवाद-विरोधी ढाँचों को सुदृढ़ करना:** एक ऐसा देश होने के नाते जो लंबे समय से आतंकवाद का शिकार रहा है, भारत संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद-विरोधी ढाँचों को मजबूत करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।
  - यह **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक समग्र सम्मेलन** के लिये पहल कर सकता है और सुरक्षा परिषद से उन देशों के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करने का समर्थन कर सकता है जो आतंकवादी समूहों को आश्रय देते या प्रायोजित करते हैं।
  - भारत पहले ही **26 देशों के साथ आतंकवाद-विरोधी संयुक्त कार्य समूहों** के माध्यम से सहयोग को दृढ़ कर चुका है।

प्रभावी एवं समावेशी संयुक्त राष्ट्र सुधारों हेतु उपाय आवश्यक क्या हैं?

- **सुरक्षा परिषद का चरणबद्ध पुनर्संरचना:** सभी या कुछ नहीं के दृष्टिकोण के बजाय, **राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिये सुरक्षा परिषद का चरणबद्ध, दो-चरणीय सुधार आवश्यक है।**
  - पहला चरण **अस्थायी सदस्यता का विस्तार करने में शामिल** होगा, जिसमें प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के लिये **दीर्घकालीन और अधिक नवीकरणीय अवधि** होगी, जिससे उन्हें एक अधिक **प्रभावी समर्थन प्राप्त होगा, बिना P5 के वीटो को चुनौती दिये।**
  - दूसरा चरण, जिसे प्रदर्शनीय प्रभावशीलता की एक निश्चित अवधि के बाद शुरू किया जाएगा, **एक नई श्रेणी के अर्द्ध-स्थायी सदस्यों को पेश करेगा, जिनका एजेंडा-निर्धारण पर अधिक प्रभाव होगा,** इस प्रकार चार्टर के पूर्ण पुनर्गठन की आवश्यकता के बिना संभावित स्थायी सदस्यता के लिये एक वैध मार्ग बनाएगा।
- **विभेदित वीटो तंत्र:** P5 के वीटो के कारण उत्पन्न गतिरोध को कम करने के लिये एक नया तंत्र पेश किया जा सकता है, जिसमें **जातीय संहार, युद्ध अपराध या मानवता के विरुद्ध अपराधों से संबंधित प्रस्ताव** पर वीटो को अस्वीकार किया जा सके।
  - इस **"विभेदित वीटो (Differentiated Veto)"** के लिये महासभा में सुपरमैजॉरिटी वोट आवश्यक होगा, जैसे कि **सभी सदस्य देशों के दो-तिहाई मत, ताकि उस विशेष प्रस्ताव के लिये वीटो को निलंबित** किया जा सके।
  - इससे यह सुनिश्चित होगा कि संयुक्त राष्ट्र बड़े पैमाने पर अत्याचारों के सामने निष्क्रिय न रहे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अन्य क्षेत्रों में P5 की मूल शक्ति बनी रहे।
- **वित्तीय सुधार और विविधीकरण:** वर्तमान वित्तपोषण मॉडल, जो कुछ प्रमुख शक्तियों पर अत्यधिक निर्भर है, को विविधीकृत करना आवश्यक है ताकि संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित हो और राजनीतिक प्रभाव कम हो।
  - इसमें कुछ वैश्विक लेनदेन, जैसे वित्तीय सट्टेबाजी/Financial Speculation या कार्बन उत्सर्जन पर **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाया गया "सॉलिडैरिटी टैक्स"** शामिल किया जा सकता है।
  - इन निधियों का **पारदर्शी ट्रस्ट में प्रबंधन किया जाएगा, जो मुख्य संयुक्त राष्ट्र संचालन और शांति स्थापना मिशनों के लिये समर्पित** होगा, इस प्रकार संगठन के लिये एक स्थायी और समान वित्तीय आधार स्थापित होगा, जो कुछ दाताओं के प्रति निर्भर नहीं होगा।
- **प्रशासनिक और प्रबंधन ढाँचों का पूर्ण पुनर्निर्माण:** एक अधिक सक्रिय, पारदर्शी और उत्तरदायी संयुक्त राष्ट्र बनाने के लिये शीर्ष से नीचे तक प्रशासनिक और प्रबंधन पुनर्निर्माण आवश्यक है।
  - इसमें निर्णय लेने की शक्ति को **न्यूयॉर्क मुख्यालय से क्षेत्रीय केंद्रों में विकेंद्रीकृत करना,** विभिन्न एजेंसियों के ओवरलैपिंग जनादेश को सुव्यवस्थित करना और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिये एक दृढ़, स्वतंत्र प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली लागू करना शामिल है।
  - **कठोर आचार संहिता और भ्रष्टाचार व कदाचार की जाँच एवं अभियोजन करने का अधिकार रखने वाले नए, स्वतंत्र पर्यवेक्षण निकाय** की स्थापना, जिसमें शांति रक्षकों सहित सभी शामिल हों, विश्वास और जवाबदेही को पुनर्स्थापित करेगी।
- **एजेंडा निर्धारण में ग्लोबल साउथ की बढ़ी हुई भूमिका:** संयुक्त राष्ट्र ऐसे मुद्दा-विशेष प्रतिनिधिमंच बना सकता है जहाँ ग्लोबल साउथ संयुक्त रूप से एजेंडा में योगदान दे सके, इससे पहले कि वह महासभा या सुरक्षा परिषद तक पहुँचे।
  - ऐसे पूर्व-निर्णय परामर्श प्लेटफार्म **जलवायु, व्यापार, डिजिटल शासन और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे चर्चाओं में समावेशिता को संस्थागत रूप से स्थापित** करेंगे।
  - यह विकसित देशों के प्रभुत्व को रोकता है और विविध विकासशील दृष्टिकोणों को शामिल करता है। एजेंडा समानता सुनिश्चित करके, यह सुधार समान रूप से मानक निर्धारण को बढ़ावा देता है और संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक जनादेश को दृढ़ करता है।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता तंत्र को सुदृढ़ करना:** सुधारों के तहत संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक स्वतंत्र पर्यवेक्षण निकाय स्थापित करना आवश्यक है, जो निर्णय-निर्माण में प्रभावशीलता, व्यय और निष्पक्षता का मूल्यांकन करना।
  - **शांति स्थापना मिशनों, मानवीय हस्तक्षेपों और प्रतिबंध प्रावधानों के अनिवार्य प्रदर्शन मूल्यांकन** से दुरुपयोग और अक्षमता को रोका जा सकेगा।
  - **स्वैच्छिक योगदानों (Voluntary Contributions)** में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने से दानदाता-प्रधान पूर्वाग्रह कम हो सकते हैं।
    - जवाबदेही को बढ़ाकर, **संयुक्त राष्ट्र छोटे देशों के बीच अपनी विश्वसनीयता और विश्वास को पुनः स्थापित** कर सकता है। इससे **निर्णय शक्ति पर आधारित** होने की **बजाय नियमों पर आधारित** होंगे।

निष्कर्ष:

कोफी अन्नान (पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव) ने कहा था, "मुझे दृढ़ विश्वास है कि परिषद का सुधार होना चाहिये: यह जैसे है वैसे नहीं रह सकती। विश्व बदल रहा है और संयुक्त राष्ट्र को भी बदलना और अनुकूलित होना चाहिये।" संयुक्त राष्ट्र एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ **सुधार अब वैकल्पिक नहीं बल्कि इसकी प्रासंगिकता और वैधता** हेतु आवश्यक है। समावेशिता, जवाबदेही एवं अनुकूलनशीलता को अपनाकर, यह वास्तव में एक प्रतिनिधि वैश्विक संस्था में बदल सकता है। भारत की सक्रिय भागीदारी विभाजन को पाटने और ग्लोबल साउथ की शक्तियों को बढ़ाने का एक मार्ग प्रदान करती है।

??????? ?????? ???????:

प्रश्न. बढ़ती बहुध्रुवीयता और उभरती शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में, चर्चा कीजिये कि संयुक्त राष्ट्र कैसे विकसित और विकासशील देशों के बीच प्रतिनिधित्व और निर्णय-निर्माण अधिकार का संतुलन स्थापित कर सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष प्रश्न

??????????:

प्रश्न. "संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति (यूनाईटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमिटी)" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2022)

1. यह संयुक्त राष्ट्र (UN) सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है।
2. पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है।
3. यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी UN सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 3

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) केवल 1 और 2

उत्तर: (a)

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2009)

1. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) में 24 सदस्य देश शामिल हैं।
2. यह 3 वर्ष की अवधि के लिये महासभा के दो-तिहाई बहुमत द्वारा चुनी जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) के प्रमुख कार्य क्या हैं? इसके साथ संलग्न विभिन्न प्रकार्यात्मक आयोगों को स्पष्ट कीजिये। **(2017)**

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट पाने की दिशा में भारत के समक्ष आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिये। **(2015)**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/towards-a-representative-and-effective-united-nations